संचिका सं0–10/रेफ0–06–02/2017.....303.........(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 05-07-18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में नव उत्क्रमित रेफरल अस्पताल कल्याण बिगहा, हरनौत, नालन्दा में चार चिकित्सक आवास एवं आठ स्टाफ आवास के भवन निर्माण हेतु कुल 2,56,94,000/– (दो करोड़ छप्पन लाख चौरान्वे हजार रुपये) की स्वीकृति के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेष राशि रुपये (2,56,94,000–39,99,521)= 2,16,94,479/–(दो करोड़ सोलह लाख चौरान्वे हजार चार सौ उनासी रुपये) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में नव उत्क्रमित रेफरल अस्पताल कल्याण बिगहा, हरनौत, नालन्दा में चार चिकित्सक आवास एवं आठ स्टाफ आवास के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल 2,56,94,000/– (दो करोड़ छप्पन लाख चौरान्वे हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–264(10), दिनांक–07.03.2017 से प्रदान किया गया था एवं आवंटनादेश संख्या–01(10)ब, दिनांक–05.05.2017 से कुल रुपये 39,99,521/–(उनचालिस लाख निन्यानवें हजार पाँच सौ इक्कीस रुपये) का आवंटन दी गयी थी। तद्क्रम में चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में शेष कुल रुपये (2,56,94,000–39,99,521)= 2,16,94,479/– (दो करोड़ सोलह लाख चौरान्वे हजार चार सौ उनासी रुपये) मात्र व्यय का स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

2. यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के द्वारा कराया जायेगा । कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की जवाबदेही निगम की होगी।

(vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

3. इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष–0101–रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210021030101, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–PLA-244 एवं विपत्र कोड– K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

5. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्‌संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे ।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

8. राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

10. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

11. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 303(10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 05-07-18

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कल्याण बिगहा, हरनौत, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।